न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात

मुकदना सं०–523/2015

सरकार बनाम सर्वेन्द्र कुमार

<u>आरोप</u>

मै हरकिरन कौर सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात में आप अभियुक्त सर्वेन्द्र कुमार, को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ।

यह कि दिनांक 1.6.14,समय 4.00 शाम, घटना स्थल बम्बा पर बहद ग्राम कस्बा अमरोधा, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने मुकदमा वादी के लड़के को मारपीट कर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 323 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक,समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने उपरोक्त मुकदमा वादी के लड़के को गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 504 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक,समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने उपरोक्त मुकदमा वादी के लड़के को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 506 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक,समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने उपरोक्त मुकदमा वादी के लड़के को मारपीट कर ऐसी गम्भीर किस्म की उपहति कारित की कि उसके हाथ में फैक्चर हो गया। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 325 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक 09.08.19

सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात

उक्त आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

दिनांक 09.08.19

सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात